

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

सं०सं०-11/वृ०उ०-9-01/2024-

183

/पटना, दिनांक: 12/01/26

अधिसूचना

राज्य कर्मियों को रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में वित्त विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना सं०-7566 दिनांक-14.07.2010 एवं अधिसूचना सं०-10543 दिनांक-06.10.2025 में निहित प्रावधानों के आलोक में जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक-16.12.2025 को आहूत की गई। उक्त समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार अभियंत्रण सेवा के अभियंताओं (असैनिक) को उनकी 30 वर्षों की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूरी करने की तिथि से रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अन्तर्गत तृतीय एम०ए०सी०पी० वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3590 दिनांक-24.05.2017 की अनुसूची-II में वर्णित वेतन स्तर की उच्चतर क्रमिक वेतन स्तर-13ए का लाभ निम्नानुसार प्रदान किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम	आई० डी०	जन्म तिथि	सेवा निवृत्ति की तिथि	सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर प्रथम प्रभार की तिथि	पुनरीक्षित वेतन स्तर-13ए में स्वीकृत तृतीय एम०ए०सी०पी० की देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री जय प्रकाश पासवान	4391	02.06.1969	30.06.2029	18.05.1995	दिनांक-18.05.2025	
2	श्री अनिल कुमार	4467	28.02.1967	28.02.2027	25.08.1995	दिनांक-25.08.2025	
3	मो० सोहेल अहमद अंसारी	4493	05.04.1971	30.04.2031	01.09.1995	दिनांक-01.09.2025	
4	श्री धर्मेन्द्र कुमार	4495	05.05.1967	31.05.2027	01.09.1995	दिनांक-01.09.2025	
5	श्री रामा शंकर प्रसाद	4496	18.06.1968	30.06.2028	01.09.1995	दिनांक-01.09.2025	
6	मो० परवेज अख्तर	4502	10.01.1971	31.01.2031	01.09.1995	दिनांक-01.09.2025	
7	मो० कमरे आलम	4504	02.07.1970	31.07.2030	01.09.1995	दिनांक-01.09.2025	
8	श्री संजीव शैलेश	4507	01.08.1967	31.07.2027	01.09.1995	दिनांक-01.09.2025	
9	श्री अनिल कुमार मंडल	4513	06.04.1971	30.04.2031	01.09.1995	दिनांक-01.09.2025	
10	श्री शाहनवाज अंसारी	4514	05.06.1972	30.06.2032	01.09.1995	दिनांक-01.09.2025	
11	श्री संजय कुमार गुप्ता	4521	15.03.1966	31.03.2026	01.09.1995	दिनांक-01.09.2025	
12	श्री मनोज कुमार	4531	01.01.1968	31.12.2027	01.09.1995	दिनांक-01.09.2025	
13	श्री रजी हैदर	4532	22.09.1967	30.09.2027	01.09.1995	दिनांक-01.09.2025	
14	श्री कुमार मनोज गुप्ता	4537	14.06.1969	30.06.2029	01.09.1995	दिनांक-01.09.2025	
15	श्री अबरार अरशद	4538	21.05.1968	31.05.2028	01.09.1995	दिनांक-01.09.2025	

2. यह वित्तीय उत्क्रमण व्यक्तिगत है तथा इसका पारस्परिक वरीयता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

3. उपर्युक्त के फलस्वरूप उत्क्रमित वेतन स्तर में वेतन का निर्धारण वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं०-3590 दिनांक-24.05.2017 के कंडिका-11 के आलोक में सुनिश्चित किया जाएगा।
4. इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप मौलिक नियमावली के नियम 22(1)ए(i) के प्रावधानों के अनुसार वेतन निर्धारण हेतु सम्बन्धित कर्मी द्वारा यह विकल्प प्रयोग किया जाना है कि वे वित्तीय उन्नयन की तिथि से वेतन निर्धारण करावेंगे अथवा अगले वेतनवृद्धि की तिथि से। उक्त विकल्प अधिसूचना निर्गत होने के एक माह के अंदर लिखित रूप से संबंधित पदाधिकारी द्वारा कार्यालय प्रधान/महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग को देना होगा।
5. भविष्य में अर्हता में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उक्त प्रदत्त वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी।

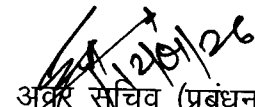
बिहार राज्यपाल के आदेश से


(सरफराज अहमद)
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक:-11/वृ०उ०-9-01/2024- 183

/पटना, दिनांक: 12/01/26

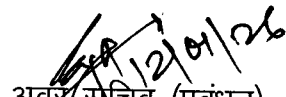
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना-7 को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक:-11/वृ०उ०-9-01/2024- 183

/पटना, दिनांक: 12/01/26

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव (प्रबंधन)

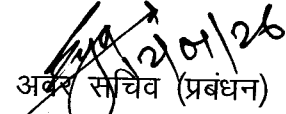
ज्ञापांक:-11/वृ०उ०-9-01/2024- 183

/पटना, दिनांक: 12/01/26

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में)/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास, विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/लोकायुक्त के आप्त सचिव, 4-कोटिल्य मार्ग, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता (वाल्मी सहित) जल संसाधन विभाग, बिहार/सभी अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त सचिव (प्रबंधन सहित)/सभी उप सचिव (प्रबंधन सहित)/सभी अवर सचिव (प्रबंधन सहित), जल संसाधन विभाग,

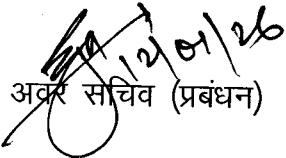
बिहार, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/संबंधित सभी कार्यरत/सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता (असैनिक), जल संसाधन विभाग, बिहार तथा प्रशाखा पदाधिकारी-6, 7, 10, 22, 23 एवं 24, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक:-11/वृ०उ०-9-01/2024- 183

 21/01/26
अवर सचिव (प्रबंधन)

/पटना, दिनांक: 21/01/26

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियन्ता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं आई० टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय/Common integrated website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

 21/01/26
अवर सचिव (प्रबंधन)